कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

कमांक 7190 /रूपां/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./07 भोपाल,दिनांक 3/9/07

//परिपत्र//

विषयः– एक मुश्त निविदाओं में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई ड्राईंग एवं डिजाईन की स्वीकृति में विलंब ।

कुछ प्रकरणों में पाया गया है कि एक मुश्त निविदाऐं, जिनमें कार्यादेश के बाद ठेकेदार को डिजाईन एवं ड्राईंग देना होता है वह ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत करने के पश्चात् भी एक निश्चित समय–सीमा में सक्षम अधिकारी द्वारा डिजाइन एवं ड्राइंग की स्वीकृति नहीं दी जाती है ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में ठेकेदार से कार्य की डिजाईन एवं ड्राईग अनुबंध में निर्धारित समय सीमा में प्राप्त की जाए एवं प्राप्त होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकतम एक माह की समयावधि में इसे स्वीकृत किया जाये । यदि डिजाईन एवं ड्राईग के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना है तब उस पर भी त्वरित कार्यवाही की जाये एवं ऐसी आपत्तियॉ एक सप्ताह में ठेकेदार को लिखित में सूचित कर दी जाएं । ठेकेदार द्वारा यदि आपत्तियों का निराकरण शीघ्र नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध अनुबंध के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाए क्यों कि ऐसा विलंब अनुबंध प्रावधानों का उल्लंघन होगा । ड्राइंग एवं डिजाइन की स्वीकृति के लिये अधिकतम 15 दिन की समय सीमा कार्यपालन यंत्री के लिये व अधिकतम 15 दिन की अधीक्षण यंत्री एवं इतनी ही मुख्य अभियंता स्तर पर निर्धारित की जाती है एवं इस अवधि में ही यदि ठेकेदार से कोई अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जाना है तो वह भी इसी समयावधि में प्राप्त कर ली जाए । ड्राइंग डिजाइन के शीघ्र निराकरण के लिये विभागीय इंजीनियर एवं ठेकेदार की संयुक्त बैठक भी की जा सकती है जिससे शीघ्र निराकरण एवं अनुमोदन की कार्यवाही की जा सके ।

निर्धारित समय सीमा का, प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से पालन किया जाए ।

(सुधीर सक्सेना)
प्रमुख अभियंता

पृ.कमांक 7190/रूपां/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./07 भोपाल,दिनांक 3/9/07

प्रतिलिपिः–

1. सचिव,म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) म.प्र.भोपाल की ओर उनके पत्र कमांक 2058 दिनांक 30.3.07 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित। कृपया उक्त प्रकरण को लम्बित सूची से विलोपित करने का कष्ट करें ।
3. समस्त मुख्य अभियंता,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग म.प्र.,
4. समस्त अधीक्षण यंत्री,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग म.प्र.
5. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग म.प्र.

   की ओर पालनार्थ अग्रेषित ।
6. कार्यपालन यंत्री (MIS) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यां.विभाग भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित है कि इस परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर भी रखें ।

प्रमुख अभियंता

K-7